

फा0सं0-डी-26011/03/2014- सा0प्र0

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग,

नई दिल्ली-110016

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2014

विषय: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए (वातानुकूलित एवं गैर-वातानुकूलित) डीएलवाई कारों को किराये पर लेने के संबंध में दरें आमंत्रित करना।

01.01.2015 अथवा संविदा के निर्णय की तिथि से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष की अवधि के लिए दैनिक तथा आवश्यकता के आधार पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली में सरकारी उपयोग के लिए चालक सहित डीएलवाई टैक्सियों नामतः टोयोटा/टाटा इंडिगो/मारुति डिजायर इत्यादि को किराये पर लेने के लिए वार्षिक दर संविदा के निर्णय के लिए प्रतिष्ठित टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कारें अच्छी दशा में होनी चाहिएं और संबंधित मोटर वाहन नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

2. केवल उन्हीं सेवा प्रदाता कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों आदि के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनके पास टेंडर खोलने की तिथि को, दिल्ली सरकार/राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा। अपंजीकृत फर्मों के प्रस्तावों को एक दम निरस्त कर दिया जाएगा।

3. केवल वे ही आपरेटर अपनी दरें उद्धृत करें, जिनके पास कम से कम 4(चार) डीएलवाई कारें हों। दरों को अंतिम रूप देने से पहले 4(चार) डीएलवाई कारों पर उनके वास्तविक स्वामित्व का सत्यापन किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि आपरेटरों के पास विनिर्दिष्ट संख्या में कारें नहीं हैं, तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट तथा बीमा पत्र की सत्यापित छाया प्रतियाँ टेंडर के साथ संलग्न होनी चाहिए)।

4. आपरेटर केन्द्रीय उत्पाद विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास 15 अंकों का सेवा कर कोड होना चाहिए और वह सेवा कर का भुगतान कर रहा हो।

5. दरें तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के दो भागों में होंगी। तकनीकी दरें और वित्तीय दरें अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होंगी और तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर "डीएलवाई कारों की आपूर्ति के लिए निविदा" लिखा जाना चाहिए तथा यह अवर सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कमरा सं0 टी-38, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के नाम से भेजा जाना चाहिए। निविदादाताओं को 25,000/-रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र) की धरोहर राशि डी.डी.ओ, डीएसआईआर, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर के माध्यम से अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

उत्तरा 3 मी
16/12/14

6. निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात् असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
7. मिटाई गई/कटी-फटी उद्धृत दरों वाले टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के परिवर्तनों पर स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएं, अन्यथा टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. टेंडर को स्वीकार करने की शक्तियां विभाग के पास हैं और विभाग न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। करार की अवधि के दौरान दरों के संशोधन के लिए विक्रेताओं के किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपरिहार्य न हो।
9. विभाग को बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार है। विभाग को किसी भी टेंडर को पूर्णतः अथवा उसके किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का भी अधिकार है।
10. टेंडर/करार संलग्न 'अनुबंध-I' में दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन होंगे।
11. 'टेंडर दस्तावेज' विभाग की वेबसाइट www.dsir.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा अनुभाग अधिकारी (सा0 प्र0), कमरा सं0 टी-37, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
12. दरें 'अनुबंध-II एवं III' में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
13. मुहरबन्द दरें 07.01.2015 को सांय 3.00 बजे तक टेक्नोलॉजी भवन के स्वागत कक्ष के पास रखे डीएसआईआर के टेंडर बॉक्स में डाली जा सकती हैं। दरें उसी दिन 3.30 बजे सांय कमरा सं0 1, हॉल बी, टेक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली में टेंडरकर्त्ताओं/एजेंसियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में, खोली जाएंगी।

कुलदीप कुमार
16/1/14

(कुलदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 26528472

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सेवा में

(संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: श्री वी.के. वरुण, वैज्ञानिक 'एफ', को डीएसआईआर की वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज को अपलोड करने के लिए।

कुलदीप कुमार
16/1/14

(कुलदीप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

(पृष्ठ 8 का 2)

नियम एवं शर्तें

1. दर करार 01.02.2015 से 31.03.2016 अथवा करार होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, जो भी बाद में हो। फिर भी दर करार को दोनों पक्षों के पारस्परिक समझौते से दर सहित उन्हीं नियमों और शर्तों पर एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम अथवा वास्तविक सेवाओं अथवा वास्तविक सेवा उपयोग के संबंध में कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती।
2. सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों पर प्राइवेट टैक्सी सेवाओं की आवश्यकता होती है। फिर भी, ये सेवाएं सप्ताह के सभी सातों दिन और राष्ट्रीय अवकाशों पर भी अपेक्षित होगी। वार्षिक दर करार के अंतर्गत सेवा-प्रदाता सभी दिवसों पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।
3. किराये पर ली गई टैक्सी केवल इस विभाग के उपयोग के लिए होगी और किसी भी परिस्थिति में सेवा-प्रदाता सहित किसी अन्य उपयोगकर्ता के साथ भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।
4. सेवा के लिए प्रदान की जाने वाली टैक्सी 01.04.2011 से पहले का मॉडल नहीं होनी चाहिए तथा यह बेहतरीन हालात में होनी चाहिए। प्रदान की गई टैक्सी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले रोज विधिवत् साफ और धुली होनी चाहिए। यदि डीएसआईआर टैक्सी की व्यवस्था इसके रखरखाव साफ-सफाई में संतुष्ट नहीं हुआ, तो बोली लगाने वाला डीएसआईआर द्वारा स्वीकृति के लिए तुरन्त एक वैकल्पिक टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में डीएसआईआर का निर्णय अन्तिम होगा और सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कोई भी आपत्ति करार का उल्लंघन माना जाएगा और इस विभाग द्वारा ऐसे सेवा आपूर्तिकर्ता के साथ दर करार के समापन का भागी होगा।
5. इस प्रकार किया गया करार फर्म द्वारा नियम और शर्तों पर अपनी सहमति देने की तारीख से प्रारम्भ होगा और फर्म को किसी वाणिज्यिक बैंक की ओर से निष्पादन प्रतिभूति के रूप में **(अनुबंध-IV)**निर्धारित प्रारूप में 50,000/-रु0 की बैंक गारण्टी जमा करानी होगी जिसे करार की अवधि समाप्त होने पर वापिस लिया जा सकेगा। निष्पादन प्रतिभूति **दर संविदा** की अवधि के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। निष्पादन किया गया करार विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
6. कार्य के सामान्य घण्टे प्रतिदिन 10 घंटे होंगे।
7. स्वीकृत मूल्य संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर एवं स्थायी रहेंगे और किसी भी कारण उनमें होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार उसमें कोई बदलाव स्वीकार नहीं होंगे।
8. करार की अवधि के दौरान सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा की राशि जब्त कर ली जाएगी। इस करार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली के न्यायालयों का होगा।
9. यात्रा शुरू होने के बाद यह यात्रा किसी खराबी के कारण पूरी न होने की स्थिति में, डीएसआईआर बाजार से कोई अन्य टैक्सी किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, भुगतान की आधिक्य राशि सेवा प्रदाता के मासिक बिल से वसूल की जाएगी।

(पृष्ठ 8 का 3)

52/11/14
16/1/14

10. टेलीफोन पर ठेकेदार को किसी गाड़ी के खराब होने की सूचना देने पर फर्म को ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह आधे घंटे के भीतर अन्य कार उपलब्ध कराये। उपलब्ध कराये गये किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में सभी प्रकार के खर्चे फर्म द्वारा वहन किये जाएंगे। **यदि वाहक किसी दिवस विशेष पर कार उपलब्ध कराने में विफल होता है तो रू0 500/- का अर्थ दण्ड प्रति कार प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जायेगा।**
11. यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा के लिए प्रदान किए गए प्रत्येक वाहन के साथ ऐसे प्रशिक्षित ड्राइवर उपलब्ध कराए, जिनके पास दर संविदा की पूरी अवधि के दौरान वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर सावधानीपूर्वक एवं सुरक्षात्मक ढंग से ड्राइविंग करने के कौशल में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो, कस्टमर के साथ कारवाइ करने में शिष्ट हो, आपरेटिंग उपकरणों में प्रशिक्षित हो और शहर की गलियों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी कि वह ड्राइवरों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 60 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइवर स्वीकार्य नहीं होंगे। तैनात किए गए ड्राइवर को टैक्सी में अधिष्ठापित आग बुझाने के पोर्टेबल उपकरणों को आपरेट करने और यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी हो, रात्रि में टार्च अथवा वर्षा आदि के दौरान छतरी के साथ कस्टमर को कार्यालय/अन्य भवन तक साथ आना चाहिए।
12. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर की सुरक्षा जांच का सत्यापन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा। तथापि, डीएसआईआर दर संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय ड्राइवर के पुलिस सत्यापन कराने के लिए स्वतंत्र होगा। उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से गत 5 वर्षों के दौरान ड्राइविंग के दौरान कोई दुर्घटना न हुई हो। ड्राइवर को सेवा से सम्बद्ध वर्दी में होना चाहिए और उपयोगकर्ता के साथ शिष्ट व्यवहार बना कर रखना चाहिए।
13. उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के दौरान वर्किंग मोबाइल उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो खुला रहना चाहिए। ड्राइवर द्वारा किसी दुर्व्यवहार अथवा ड्राइवर के कार्य करने के दौरान पाई गई अन्य कोई कमी के बारे में पता लगने की स्थिति में बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर वैकल्पिक ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा। ड्राइवर की असंतोषजनक सेवा के बारे में सेवा प्रदाता द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सकता है।
14. उपलब्ध कराया गया ड्राइवर शिक्षित होना चाहिए ताकि वह यात्रा करने वाले अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित यात्रा के प्रत्येक अवसर पर प्रारम्भिक किलोमीटर, अंतिम किलोमीटर, तय की गई दूरी, यात्रा में लगा समय, गंतव्य स्थान आदि के बारे में लॉग बुक में प्रविष्टियां कर सकें और रोजाना अधिकारी/स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिपों का रख-रखाव कर सके।
15. ईंधन पर आने वाली लागत, कारों के अनुरक्षण, मोबाइल फोन के प्रभार तथा ड्राइवर का वेतन आदि बोली दाता द्वारा वहन किया जाएगा और डीएसआईआर द्वारा अलग से कोई प्रभारों की अनुमति नहीं होगी।
16. सेवा प्रदाता को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ईंधन टाइप पर चलने वाली टैक्सी, जिसके लिए मांग की गई थी, की अनुपलब्धता के लिए कोई बहाना अथवा अन्य ईंधन पर वाहन के संचालन के लिए प्रभारों को मंजूर करना स्वीकार्य नहीं होगा।
17. डीएसआईआर को सेवाएं देने के लिए वाहनों के अनुबंध के दौरान सड़क दुर्घटना आदि के कारण, होने वाली कोई क्षति अथवा जख्मी होने की स्थिति में मामले सेवा प्रदाता द्वारा देखे जाएंगे। डीएसआईआर अथवा इसके प्रयोगकर्ता को किसी भी रूप में इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण किसी दायित्व के संबंध में अकेले सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

(पृष्ठ 8 का 4)

सत्यापित
16/1/14

बोली प्रदाता/सेवा प्रदाता डीएसआईआर द्वारा टैक्सी किराये पर लेने के कारण होने वाले कोई अपराधिक अथवा दीवानी देयता के प्रति डीएसआईआर के उपयोक्ताओं को पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

18. सेवा प्रदाता को वाहन के संबंध में हर समय यात्रियों के बीमा सहित उपयुक्त एवं वैध बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है।
19. सीमा पार जाने के लिए टोल टैक्स, प्रवेश कर, परमिट शुल्क, यदि कोई हो, अथवा पार्किंग प्रभार डीएसआईआर द्वारा तभी वहन किए जाएंगे जब मासिक बिल के साथ डीएसआईआर को मूल रसीदें भी भेजी जाएं।
20. डीएसआईआर को प्रदान की जाने वाली सेवा के दौरान हर समय वाहन में सभी संबंधित अद्यतन कागज-पत्र उपलब्ध रहने चाहिए। चालक को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए।
21. दर संविदाधारी फर्म कैलेण्डर मास के दौरान प्रदान की गई सेवा के लिए आगामी कैलेण्डर मास के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपने बिल प्रस्तुत करें।
22. किराये पर ली गई टैक्सी के संबंध में समय और दूरी टैक्नोलॉजी भवन, नई दिल्ली से देखी जाएगी और टैक्नोलॉजी भवन पर ही समाप्त होगी।
23. यात्रा ड्यूटी के दौरान तय की गई किलोमीटर/माइलेज मीटर/वास्तविक दूरी के साथ छेड़छाड़ का ड्यूटी के दौरान पता लगने पर इसे गंभीर माना जाएगा और तदनुसार, त्रुटिकर्ता फर्म के करार को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी।
24. निजी वाहनों को ड्यूटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के लिए केवल कमर्शियल परमिट धारी वाहनों को ही भेजा जाना चाहिए। भुगतान के लिए इस विभाग को भेजे जाने वाले बिल में विनिर्दिष्ट वाहन की पंजीकरण संख्या की जब कभी मांग की जाए, परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा।
25. फर्म के पास अपने वाहनों की शीघ्रता-पूर्वक मरम्मत कराने की क्षमता होनी चाहिए। जब कभी विभाग से कोई मांग प्राप्त हो, फर्मों को वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।
26. स्वामी/सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के प्रत्यक्ष टेलीफोन (कार्यालय और निवास) और मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आपात मामलों में टेलीफोन पर बातचीत का होना सुनिश्चित हो सके।

(पृष्ठ 8 का 5)

Sachin S. M.
16/1/14

डी.एस.आई.आर. की दिनांक 16.12.2014 की निविदा सूचना संख्या डी-26011/03/2014-सा0प्र0

तकनीकी बोली

क्र0सं0	विवरण	
1.	फर्म/कम्पनी/ऐजेंसी का नाम	
2.	फर्म/कम्पनी/ऐजेंसी का पूरा पता	
3.	दूरभाष संख्या ।	
4.	संलग्न किए जाने वाले पंजीकरण/निगमन प्रमाण-पत्र का वर्ष	
5.	1.4.2014 तक कर्मचारियों की संख्या ।	
6.	1.4.2014 तक वार्षिक टर्न ओवर (प्रमाण सहित)	
7.	15 अंकीय सेवा कर कोड सं. तथा पैन सं. (प्रमाण संलग्न करें) ।	
8.	क्या 25,000/-रूपए की जमा धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश (सं. तथा दिनांक सहित) के रूप में संलग्न है।	
9.	विभागों/मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों का नाम तथा पता, जहां, वर्तमान में, वाहन नियमित/मासिक आधार पर कार्यरत हैं (करार पत्र की स्वतः प्रमाणित और विधिवत् मोहरलगी प्रतियां संलग्न करें)।	
10.	कम से कम तीन सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/निगमों से संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र।	
11.	इस निविदा से संबंधित जिस व्यक्ति को सभी निर्देश दिए जाएंगे, उस व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता ।	
12.	दूरभाष सं. कार्यालय: आवास:	
13.	मोबाइल सं0	
14.	ऐजेंसी के पास पंजीकृत डीएलवाई टैक्सियाँ (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ सहित) की कुल संख्या	
15.	मालिक का नाम, पता तथा दूरभाष सं.	

2. मैं/हम उक्त निविदा पृछताछ में दिए गए नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हैं तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:

स्थान:

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

व्यापार का पता:

मुहर:

तकनीकी मापदण्डों के लिए जांच सूची

क्र.सं.	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	हाँ	ना	पृष्ठ सं०	टिप्पणी
1.	पिछले वित्तीय वर्ष में फर्म का वार्षिक टर्नओवर				
2.	सम्पर्क व्यक्ति तथा उनके दूरभाष नम्बरों सहित सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ प्रतिष्ठित निगमित क्षेत्रों में उसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराए गए पिछले अनुभव का ब्यौरा				
3.	सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों/प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों, जहां वर्तमान में वाहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, से संतुष्टि का निष्पादन प्रमाणपत्र।				
4.	फर्म के निगमन के प्रमाण पत्र, पैन सं० तथा सेवा कर पंजीकरण की प्रतियां				
5.	ऐजेंसी के साथ पंजीकृत डीएलवाई टैक्सियों/कारों की कुल संख्या (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित)				
6.	डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में 25,000/- रूपए की जमा धरोहर राशि				

अनुबंध III

डी.एस.आई.आर. की दिनांक 16.12.2014 की निविदा सूचना संख्या डी-26011/03/2014-सा0प्र0

वित्तीय बोली

नियमित आधार पर किराए पर डीएलवाई टैक्सियों की आपूर्ति के संबंध में

क्र. सं.	विवरण	गैर-एसी कार के लिए धनराशि (रूपए में) (शब्दों तथा अंकों में) – किसी भी मॉडल की		छोटी एसी कार के लिए धनराशि (रूपए में) (शब्दों तथा अंकों में) (उदाहरणार्थ टाटा इंडिका/मारुति वैगन आर)		सेडान एसी कार के लिए धनराशि (रूपए में) (शब्दों तथा अंकों में) (उदाहरणार्थ टाटा इंडिगो/मारुति स्विफ्ट डिजायाअर/ एस एक्स 4/हयंदेई एस्सेंट, टोयोटा इटीयोस/फोर्ड आईकन इत्यादि	
		डीजल	सीएनजी	डीजल	सीएनजी	डीजल	सीएनजी
1.	मासिक आधार पर लिए गए वाहन के लिए प्रभार । 2500 कि.मी./250 घंटे						
2.	दैनिक (50 कि.मी./5 घंटे)						
3.	दैनिक (100 कि.मी. /10 घंटे)						
4.	क्र0सं0 1,2 एवं 3 के लिए अतिरिक्त कि.मी. हेतु प्रति कि.मी. प्रभार						
5.	क्र0सं0 1,2 एवं 3 के लिए अतिरिक्त घंटे हेतु प्रति घंटा दरें						
6.	रात्रि विश्राम प्रभार (मध्य रात्रि 12.00 के बाद)						
	जोड़						

2. मैं/हम उक्त निविदा पूछताछ में दिए गए नियम एवं शर्तों स्वीकार करते हैं तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक:

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

टैक्सी स्टैंड/फर्म का नाम
पता तथा दूरभाष सं० सहित

कार्यालय की स्टैम्प/मुहर

(पृष्ठ 8 का 8)